पत्रांक–3/एम0–20/2023सा0प्र0 4002 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 06.03.2024

विषयः– भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधान के तहत अधिसूचित सेवा/संवर्ग नियमावली के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधान के तहत प्रशासी विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग नियमावलियों के गठन की जानकारी विधान मंडल को नहीं दी जाती है।

2. उक्त संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"I have already opined, that on combined reading of Article-162 of the Constitution and Article-309, it is not mandatory, that for regulating Recruitment And Condition or Service, the State must do it by an appropriate legislation enacted by the legislature. It can be done even by rules framed for that purpose. I have further opined, since Constitution itself has not limited duration of rule making or its enforcement, the same cannot be read into it.

However, at the same time, I appreciate the concern of Hon'ble Subordinate Legislation Committee. It may therefore, be appropriate that rules framed by the executive in exercise of power conferred under proviso to Article 309 of the Constitution may contain a provision to place the same before both the houses for a certain period i.e. 15 days. If, during the said period of rule being tabled, the same is

amended/modified rule will remain in force to the extent of such amendment/modification. Once the rules are placed before the legislature the purposes for which Hon'ble Subordinate Legislation Committee has raised their concern will be appropriately answered."

3. उल्लेखनीय है कि प्रशासी विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग नियमावलियों का गठन तत्संबंधी अधिसूचित अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किया जाता है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधान के तहत किया जाता है।

4. यदि सेवा/संवर्ग नियमावली का गठन संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधान के तहत किया जाता है तो इसकी प्रति पटल पर रखने हेतु बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

5. अतः अनुरोध है कि संविधान की धारा–309 के परन्तुक के प्रावधान के आलोक में विभाग के नियंत्रणाधीन किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली अधिसूचित किये जाने पर विधान मंडल के पटल पर अधिसूचित सेवा/संवर्ग नियमावली की प्रति रखे जाने हेतु इसकी प्रति बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

5.3.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव